झारखण्ड विधान-सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन)

विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 में संशोधन ।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में संशोधन ।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में संशोधन ।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 (5) में संशोधन ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में कार्यान्वयन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 के नियम 5) में पुनः संशोधन के निमित विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्सठवें साल में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो;

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-**

(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम-2011 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार समूचे झारखण्ड राज्य के लिए होगा ।

(iii) यह अधिनियम सरकार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 में संशोधन-**

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 267 (I) के उस कंडिका (ख) में झारखण्ड राज्य में इसका कार्यान्वयन-

(1) निम्न शब्दों ''न्यायालय, कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाहियों की प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष'' के पश्चात् ''वैक्तिक अथवा इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से'' शब्दों को जोड़कर पढ़ा जायेगा ।

3. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में संशोधन-**

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 273 में झारखण्ड राज्य में इसका कार्यान्वयन-

(1) निम्न शब्दों ''विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की ''वैक्तिक अथवा इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थिति'' शब्दों को जोड़कर पढ़ा जायेगा ।

4. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में संशोधन-**

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 में झारखण्ड राज्य में इसका कार्यान्वयन-

(1) प्रत्येक जाँच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का ''वैक्तिक अथवा इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से'' शब्दों को जोड़कर पढ़ा जायेगा ।

5. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 353(5) में संशोधन-**

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 353(5) में झारखण्ड राज्य में इसका कार्यान्वयन-

(1) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में हैं तो निर्णय सुनने के लिए उसे ''वैक्तिक अथवा इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से'' शब्दों को जोड़कर पढ़ा जायेगा ।

यह विधेयक दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 25 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 25 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 60--50--30-03-2011 ।